Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : /221 दिनांक, गाजियाबाद 6 जनवरी, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिण्डन कट कैनाल के किनारे 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड के निर्माण हेतु 0.6448 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 335 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–मेमो–2/गाजियाबाद–16073/यू0पी0–172/2015, दिनांक 01.01.2016।

महोदय,

उपरोक्त पत्र जो भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ से लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार हैः–

1. बिन्दु सं0–1 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के पृष्ठ–15 में संलग्न मानचित्र रिमोट सैंसिंग से डिजीटल मैप बनाने हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त मानचित्र में एलीवेटेड रोड में प्रस्तावित भूमि को अंकित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल–3531.43 वर्ग मी0 है, जो सम्पूर्ण भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित की गई है।
2. बिन्दु सं0–2 के क्रम में अवगत कराना है कि पृष्ठ–16 व 17 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के जी0पी0एस0 को–ओर्डीनेटस पृष्ठ सं0–14 व 15 में संलग्न मानचित्र में अंकित किया गया है जो पूर्व में संलग्न है। इसी आधार पर रिमोट सैंसिंग सैन्टर, उ0प्र0 द्वारा डिजीटल मानचित्र तैयार किया गया है। उक्त Coordinate को स्पष्ट रूप से अंकित कर अलग संलग्न कर प्रेषित है।
3. बिन्दु सं0–3 के क्रम में अवगत कराना है कि पृष्ठ सं0–33 में संलग्न क्षेत्रफल की गणना को स्पष्ट रूप से अंकित कर संलग्न किया जा रहा है।
4. बिन्दु सं0–4 के क्रम में अवगत कराना है कि पृष्ठ सं0–37 पर अंकित Justification संशोधित कर पुनः प्रेषित है।
5. बिन्दु सं0–5 के क्रम में अवगत कराना है कि पृष्ठ सं0–40 के भाग 2 में ब्यौरो के पातन होने वाले 210 वृक्ष Online Upload किये गये है Online Upload करते समय 0–30 तक वर्ग ब्यास के वृक्षों को Upload करने का कोई Column नहीं है इसी कारण अवशेष 125 वृक्षों को सम्मिलित करते हुये 335 वृक्षों/पौधों के पातन हेतु प्रस्ताव अग्रेसित किया गया है जिसकी पृथक–पृथक सूची बनाकर संलग्न है।

6. बिन्दु सं0–6 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना पृष्ठ सं0–96 पर संलग्न कर भेजी जा रही है।

7. बिन्दु सं0–7 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–53 से 62 पर पातन हेतु होने वाले वृक्षों की सूची पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है।

8. बिन्दु सं0–8 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–66 के क्रम में अवगत कराना है कि संलग्न मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की जी0पी0एस0 Coordinates के साथ मुख्य बिन्दु तालिका में जोड़ दिये गये है।

9. बिन्दु सं0–9 के क्रम में अवगत कराना है कि पृष्ठ सं0–80 में उपलब्ध मानचित्र में सारिणी तालिका बनाकर ब्यौरा बना दिया गया है।

10. बिन्दु सं0–10 के क्रम में अवगत कराना है कि पृष्ठ सं0–81 में दर्शित मानचित्र को हटा दिया गया है।

11. बिन्दु सं0–11 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में विभागीय अधिकारियों की मोहर लगा दी गई है।

12. बिन्दु सं0–12 के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का स्थल उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र सही कर दिया गया है।

13. बिन्दु सं0–13 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल के साथ सी0डी0 तैयार कर संलग्न की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें। प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : 1950 / दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता परियोजना, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

E:/Joshi Jii/Van Sanrashak, Meerut-132